ग्रामीण विकास विभाग

साधिकार अभियान में सम्मिलित की गयी योजनाएँ

1. इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना

3. इन्दिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना

3. इन्दिरा गांधी विधवा पेंशन योजना

4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - फार्म भरवाना एवं बीमा करवाना

7. प्रधानमंत्री जीवन ज्याति योजना

8. अटल पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAP)

पात्रता के मापदण्ड -

(1). मध्यप्रदेश का निवासी हो ।

(2). आवदेक (पुरूष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो ।

(3. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारिता मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

पेंशन राशि-

60 से 64 वर्ष तक 200/-प्रतिमाह

65 से 79 वर्ष तक 275/-प्रतिमाह

80 से ऊपर 500/-प्रतिमाह

पेंशन कैसे प्राप्त करें-

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पलिका एवं नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करायें ।

60 से 64 वर्ष तक 200/-प्रतिमाह -

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्र स्वीकृत करने की समय-सीमा 60 दिवस है

संपर्क-

विस्तृत जानकारी हेतु आप जिले के उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग जिला रतलाम से सम्पर्क करें ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तज पेंशन योजना

(IGNDPS)

पात्रता के मापदण्ड -

(1) मध्यप्रदेश का निवासी हो ।
(2) आवदेक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष हो ।
(3) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
(4) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभगीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर आफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पाॅलीसी मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट,1999 के तहत निःशक्तता 80 प्रतिशत एवं सीवियर डिसेबिलिटी होना चाहिये ।

पेंशन राशि-

300/-प्रतिमाह

पेंशन कैसे प्राप्त करें-

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पलिका एवं नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करायें।

समय सीमा -

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्र स्वीकृत करने की समय-सीमा 60 दिवस है

संपर्क-

अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम अथवा जिले के उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से सम्पर्क करें ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवापेंशन योजना

(IGNWPS)

पात्रता के मापदण्ड -

(1) मध्यप्रदेश का निवासी हो ।

(2) आवदेक की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष हो ।

(3) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

पेंशन राशि-

300/-प्रतिमाह

पेंशन कैसे प्राप्त करें-

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पलिका एवं नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करायें ।

समय सीमा-

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्र स्वीकृत करने की समय-सीमा 60 दिवस है

संपर्क-

अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम अथवा जिले के उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से सम्पर्क करें ।

समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

पात्रता के मापदण्ड -

(1) मध्यप्रदेश का निवासी हो ।

(2) 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्धा हो ।

(3) 18 वर्ष या अधिक आयु की निराश्रितत विधवा/परित्यक्ता महिला

(4) 14 वर्ष या अधिक आयु के वह निराश्रित व्यक्ति जो निःशक्त है।, जिसकी निःशक्ता 40 प्रतिशत से अधिक है।

(5) 6 वर्ष से 18 वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवार के निःशक्त बच्च जिसकी निशक्ता 40 प्रतिशत से अधिक है । जो स्कूल जाते हों (भले ही वो निराश्रित न हो)

निराश्रित व्यक्यिों से अभिप्राय-

(1) निराश्रित हो अर्थात उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो चुके हो और उसके भरण पोषण के लिए उसे सहारा देने वाला कोई न हो ।

या

(2) यदि उसके पुत्र/पौत्र भूमिहीन हैं या उनके पास भूमि या संपत्ति होते हुए भी जीवीकोपार्जन या भरण पोषण करने की लिए पर्याप्त आमदनी न हो ।

(3)ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति जो अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण-पोषण के लिए सहायता देने वाला कोई न हो ।

(4) भूमिहीन का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो एक हेक्टेयर ससिंचित या आधा हेक्टेयर सिचित भूमि से कम भूमि धारण करता हो ।

पेंशन राशि-

150/-प्रतिमाह

पेंशन कैसे प्राप्त करें-

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पलिका एवं नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेखोंके साथ जमा करायें।

समय सीमा-

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्र स्वीकृत करने की समय-सीमा 60 दिवस है

संपर्क-

अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम अथवा जिले के उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

(NFBS)

पात्रता के मापदण्ड -

(1) मध्यप्रदेश का निवासी हो ।

(2) आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक

(3) मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो ।

(4) मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए ।

सहायता राशि-

आर्थिक सहायता रू 20,000/- एकमुशक्त प्रदान करना

आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त करें -

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पलिका एवं नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा करायें।

समय सीमा-

लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदन पत्र स्वीकृत करने की समय-सीमा 30 दिवस है

संपर्क-

अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम अथवा जिले के उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग से सम्पर्क करें।

अटल पेंशन योजना (एपीबाई)-योजना का विवरण

पात्रता के मापदण्ड -

18 वर्ष 40 तक की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक
(2) असंगठित क्षेत्र के उन सभी नागरिकों, जो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल नहीं है तथा जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं, पर केन्द्रित होगी ।

अभिदाता अपने अंशदान की राशि जो अटल पेंशन योजना के शामिल होने की आयु के समय अलग होगी के आधार पर 60 वर्ष की आयु में रू 1000 प्रति माह रू.,2000 प्रति माह, रू 3000 प्रति माह रू 4000 प्रति माह की निर्धारित पेशन प्राप्त करेंगे ।

अभिदाताओं को रू.1000 से रू. 5000 के बीच में निर्धारित पेंशन, यदि वह 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के अंदर शामिल होता है तथा अंशदान करता है, प्राप्त होगी । अंशदान की राशि शामिल होते समय आयु के अनुसार होगी अर्थात यदि कम उम्र मे शामिल होता है तो अंशदान की राशि कम होगी और यदि अधिक उम्र में शामिल होता है तो अशदान की राशि कम होगी और यदि अधिक उम्र मे शामिल होता है तो अंशदान की राशि अधिक होगी

केन्द्र सरकार प्रत्येक पात्र अभिदाता , जो 1 जून 2015 तथा 31दिस.2015 के बीच की अवधि मे राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होते है तथा किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं है, और आयकर दाता नहीं है के खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या रू 1000 जो भी कम होगा, सह अंशदान करेंगी ।

Age of joining	Year of contribution	Indicative monthly contribution (in Rs.)	Monthly pension to the subscribers and his spouse (in Rs)	Indicative Returen of Corpus to the nominee of the subsribers (in Rs.)
18	42	42	1,000	1.7 Lakh
20	40	50	1,000	1.7 Lakh
25	35	76	1,000	1.7 Lakh
30	30`	116	1,000	1.7 Lakh
35	25	181	1,000	1.7 Lakh
40	20	291	1,000	1.7 Lakh

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

पात्रता के मापदण्ड -

18 वर्ष 50 तक की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक

हर वर्ष नवीनीकरण के आधार पर, एक वर्ष का बीमा कवर उपलब्ध

किसी भी कारण से मृत्यु होने पर रूपये 2 लाख के जीवन बीमा कवर

प्रीमियमः

रूपये 330/- प्रति सदस्य/प्रति वर्ष.

प्रिमयम एक किशत मे स्वतः नामे सुविधा के माध्यम से ,खाता धारक के बचत खाते से प्रत्येक वर्ष कवरेज अवधि की 31 मई या डससे पुर्व काट लिया जावेगा।

योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी.) एंव अन्य बीमा कम्पनियो के माध्यम से पेश की जाएगी।

नामांकन अवधि:

1 जुन 2015 से 31 मई 2016 तक के बीमा कवर के लिये ,ग्राहको को 31 मई 2015 तक योजना मे

नमाकंन कराना होगा तथा अपने खाते को स्वतः नामे करने की लिखित सहमती देना होंगी . क्वर के लिये देरी से नामांकन 31 अगस्त 2015 तक संभव हो सकेंगा.

प्रीमियम का विनियोजन:

एलआईसी /बीमा कम्पनी को प्रीमियम:रूपये 289/- प्रति सदस्य / प्रतिवर्ष बीसी./बैंकमित्रो को

प्रतिपुर्ति:

रूपये 30 /- प्रति सदस्य/प्रति वर्ष सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपुर्ति रूपये 11/- प्रति सदस्य / प्रतिवर्ष

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

पात्रता के मापदण्ड -

- 18 वर्ष 70 तक की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक
- हर वर्ष नवीनीकरण के आधार पर, एक वर्ष का बीमा कवर उपलब्ध
- दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर रूपये 2 लाख के बीमा कवर

प्रीमियम:

- रूपये 12/- प्रति सदस्य/प्रति वर्ष.
- प्रीमियम एक किश्त मे स्वतः नामे सुविधा के माध्यम से ,खाता धारक के बचत खाते से प्रत्येक वर्ष कवरेज अवधि की 31 मई या इससे पुर्व काट लिया जावेगा ।
- योजना New India Assurance co. एवं अनय बीमा कम्पनियों के माध्याम से पेश की जाएगी

नामांकन की अवधि:

1 जुन 2015 से 31 मई 2016 तक के बीमा कवर के लिये ,ग्राहको को 31 मई 2015 तक योजना मे नामांकन कराना होगा तथा अपने खाते को स्वतः नामे करने की लिखित सहमती देना होंगी .
कवर के लिये देरी से नामांकन 31 अगस्त 2015 तक संभव हो सकेंगा.

प्रीमियम का विनियोजन:

एलआईसी /बीमा कम्पनी को प्रीमियम:रूपये 10/- प्रति सदस्य / प्रतिवर्ष बीसी./बैंकमित्रो को प्रतिपुर्ति:रूपये 1 /- प्रति सदस्य/प्रति वर्ष सहभागी बैंको को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपुर्ति रूपये 1/- प्रति सदस्य /प्रतिवर्ष

लाभ –

क्रमांक	लाभ की तालिका	बीमा राशि
1	दुर्घटनावश मृत्यु	2 लाख रुपये
2	छोनों आंखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पौरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षृत होना.	2 लाख रुपये
3	एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना.	1 लाख रुपये